राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015

टेलीफोन नं. 0141–2706830, 2706032 फेक्स नं. 0141–2707679,ई–मेल:–rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांक:– प– ( )रा.मु/2018–19/226 दिनांक: 6/4/2018

महोदय/महोदया,

विषय :– राज्य स्तरीय राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड प्रशिक्षण शिविर।

निर्धारित वार्षिक कार्यक्रमानुसार राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के तत्वावधान में राष्ट्रपति स्काउट प्रशिक्षण शिविर दिनांक 26 से 31 मई, 2018 तक स्काउट गाइड प्रशिक्षण केन्द्र नं. 1 आबूपर्वत पर आयोजित किया जा रहा है। शिविर संबंधी आवश्यक सूचनाएं निम्न प्रकार है:–

1. शिविर का नाम :– राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड प्रशिक्षण शिविर।

2. तिथियॉ :– 26 से 31 मई 2018 तक।

3.आंवटित कोटा – अजमेर–21+2, भरतपुर–21+2, बीकानेर–25+3, जयपुर– 21+2, जोधपुर–36+4, कोटा–21+2, उदयपुर–36+4 कुल संख्या– 200 आवंटित कोटे से अधिक सम्भागियों को शिविर में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
– शिविर में स्काउट्स के साथ आने वाले स्काउटर्स की योग्यता कम से कम हिमालय वुड बैज या एडवांस कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है। इससे कम योग्यता या शिविर में सक्रियता पूर्वक कार्य नहीं करने वाले स्काउटर्स को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

3. पहुँच :– प्रथम दिवस प्रातः 10.00 बजे तक शिविर स्थल पर पहुॅचना आवश्यक है। शिविरावधि में कोई अवकाश नहीं दिया जावेगा।

4. स्थान :– स्टेट एडवेंचर इन्स्टीट्यूट, राजस्थान राज्य भारत स्काउट/गाइड, प्रशिक्षण केन्द्र नं. 1, ओल्ड गोल्फ कोर्स, आबूपर्वत न: 01, सिरोही। सम्पर्क– श्री जितेन्द्र भाटी सर्कल ओर्गेनाइजर(स्काउट) आबू पर्वत, सिरोही, मो.न.– 8003097176

5. योग्यता :–
1. 13 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हों।
2. जिन्होने 31 मार्च, 2017 से पूर्व राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। प्रमाण पत्र की फोटो प्रति साथ लाना आवश्यक है।
3. इसमें केवल वे ही स्काउट्स भाग ले सकेंगे, जिनका राष्ट्रपति अवार्ड हेतु पंजीकरण आवेदन फार्म राज्य मुख्यालय पर दिनांक 30 अप्रेल, 2018 तक प्राप्त हो गया हो।
4. जिनकी राज्य मुख्यालय द्वारा इस शिविर हेतु नामजद स्वीकृति जारी की गई हो।
5. पूर्ण स्वस्थ हो तथा किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित न हो।

6. शुल्क :– इस शिविर में भाग लेने वाले सम्भागियों को निम्नानुसार शुल्क पंजीकरण के समय जमा कराना होगा–

	स्काउट	स्काउटर	
पंजीकरण शुल्क	80	80	संबंधित संस्था द्वारा देय
विकास शुल्क	100	200	संबंधित संस्था द्वारा देय
योग	180	280	

7. पंजीकरण :– संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 01.05.2018 तक मण्डल मुख्यालय को भेजकर पंजीकरण करवाना होगा। मण्डल मुख्यालय पंजीकरण आवेदन पत्र राज्य मुख्यालय पर दिनांक 05.05.2018 तक अवश्य भिजवावें।

9. आवास व्यवस्था :– आवास व्यवस्था तम्बुओं में की जावेगी। स्काउटर भी अपनी टोलियों के साथ तम्बू में ही रहेगें।